

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाड़ी के कोटे में सीधी
भर्ती-2016

संख्या:पीआरपीबी-एक-1(76)/2015

दिनांक: सितम्बर 24 ,2016

1

- 1.1 उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी के कोटे में पुलिस आरक्षी वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2000 के कुल-200 पदों पर 160 पुरुष एवं 40 महिला कुशल खिलाड़ी की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।
- 1.2 कुशल खिलाड़ी के कोटे के इन 200 पदों के सापेक्ष 160 पुरुष एवं 40 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन निम्नवत किया जायेगा:-

पुरुष खिलाड़ियों की संख्या

क्र०सं०	खेल विधा का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
1	हॉकी	9
2	फुटबॉल	9
3	वॉलीबॉल	9
4	कबड्डी	6
5	बास्केटबाल	9
6	तैराकी	18
7	बॉक्सिंग	7
8	भारोत्तलन	7
9	कुश्ती	14
10	जिमनॉस्टिक	7
11	एथलेटिक्स	36
12	शूटिंग	11
13	वाटर स्पोर्ट्स	18
	योग	160

महिला खिलाड़ियों की संख्या

क्र०सं०	खेल विधा का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
1	बॉक्सिंग	7
2	भारोत्तलन	7
3	कुश्ती	7
4	एथलेटिक्स	16
5	शूटिंग	3
	योग	40

- 1.3 पुरुष कुशल खिलाड़ियों के खेल विधा के नाम, उनकी विशिष्टता एवं उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या **परिशिष्ट-1** में तथा महिला कुशल खिलाड़ियों के खेल विधा के नाम, उनकी विशिष्टता एवं उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या **परिशिष्ट-2** में प्रदर्शित है ।
- 1.4 कुशल खिलाड़ी भर्ती में आरक्षण देय नहीं है ।
- 1.5 यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है ।
- 2.1 **ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी-**

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	01-10-2016
2	पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	21-10-2016
3	आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि	24-10-2016

टिप्पणी-

शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'सबमिट' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है।

2.2- **आवेदन शुल्क**

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रु 200/- (रूपये दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

3- अर्हतायें:-

3.1-राष्ट्रीयता

कुशल खिलाड़ी के कोटे में भर्ती के लिये अभ्यर्थी को होना चाहिए:-

- (क) भारत का नागरिक, अथवा

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया हो, या

(ग) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पाकिस्तान, म्याँमार, श्रीलंका अथवा पूर्वी अफ्रीकी कोई देश कीनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) अथवा (ग) से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित किसी अभ्यर्थी से पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा भी की जायेगी।

परन्तु यह भी कि उपरोक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित किसी अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का सेवा में एक वर्ष से परे का प्रतिधारण उसकी भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अधीन होगा।

टिप्पणी:-कोई अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो लेकिन प्रमाण पत्र न जारी किया गया हो और न ही जारी करने से इन्कार किया गया हो, उसे परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने या उसके पक्ष में प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के अधीन उसको औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है।

3.2-शैक्षिक अर्हता:-

अभ्यर्थी को बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन यू0पी0 की हाई स्कूल की परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

टिप्पणी:-

- (1) पंजीकरण की अन्तिम तिथि **21-10-2016** तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
- (2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

3.3-खेल सम्बन्धी अर्हता

- (1) कोई व्यक्ति जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा आयोजित/मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित/मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं/खेलों में भाग लिया हो, केवल कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किया जायेगा।
- (2) कोई व्यक्ति जो इस विज्ञापन के दिनांक को निम्नलिखित अर्हतायें धारित करता है, भर्ती के लिए पात्र होगा:-

- (i) किसी सीनियर राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/प्रतियोगिता के लिए राज्य/विभाग का प्रतिनिधित्व किया हो और स्वर्ण/रजत/ कांस्य पदक जीता हो, या
- (ii) किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में चतुर्थ स्थान अर्जित किया हो, या
- (iii) किसी टीम स्पर्धा में 02 वर्षों तक लगातार प्रतिनिधित्व किया हो।

टिप्पणी-

- (क) 'कुशल खिलाड़ी का तात्पर्य ऐसे पुरुष/महिला खिलाड़ियों से है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित खेलों में और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित खेलों में भाग लिया हो।
- (ख) 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता' का तात्पर्य ऐसी किसी प्रतियोगिता से है, जो ऐसे संघ द्वारा आयोजित की गयी हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति/संघ द्वारा सीनियर/जूनियर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आयोजित किया गया है।
- (ग) 'राष्ट्रीय प्रतियोगिता' का तात्पर्य खेल संघों या भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/स्पोर्ट्स स्पर्धाओं से हैं।
- (घ) 'अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता' का तात्पर्य ऐसी खेल सम्बन्धी घटनाओं/प्रतियोगिताओं से है, जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किये जाते हैं।
- (च) 'खेल उपलब्धि' का तात्पर्य किसी खिलाड़ी द्वारा सृजित प्रतिमानों अथवा उसके द्वारा अर्जित पदकों से है।
- (छ) 'टीम' का तात्पर्य खिलाड़ियों के ऐसे समूह से है, जिनकी संख्या राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति/एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए नियत की जाती है।

3.4- शारीरिक मानक

कुशल खिलाड़ियों के लिए शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये

(क) ऊँचाई:

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना: (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)

पुरुष अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम फुलाव 05 सेंटीमीटर होना चाहिए अर्थात् फुलाव के पश्चात् सीना 84 सेंटीमीटर (न्यूनतम) होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 77 सेंटीमीटर अपेक्षित है और 05 सेंटीमीटर का फुलाव अपेक्षित है अर्थात् फुलाने पर सीने का माप न्यूनतम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

3.5- आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

अभ्यर्थी ने 01 जुलाई-2016 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अवश्य पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की अधिकतम आयु से अधिक आयु न पूरी की हो। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1991 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद का नहीं होना चाहिये। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर)श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी:-

यदि किसी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई है, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा की गणना उस वर्ष की 30 जून की तिथि में की जायेगी, जैसा कि अधिवर्षता की आयु की गणना के समय की जाती है।

3.6- चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र अथवा नियंत्रित किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। नैतिक अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी अपात्र होगा।

3.7-वैवाहिक प्रस्थिति-

ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसके पूर्व से ही एक जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

3.8-शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा

किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह मानसिक व शारीरिक रूप से उपयुक्त न हो और वह कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता से युक्त न हो जो उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में विपरीत प्रभाव डाल सके। किसी अभ्यर्थी को, जिसकी नियुक्ति की जानी है, औपचारिक नियुक्ति आदेशों से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्थापित दिशा निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार भर्ती के लिए गठित चिकित्साधिकारी/बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाया जाना आवश्यक होगा। नियुक्ति से पूर्व उसे चिकित्सा नियम संग्रह में निर्धारित चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा और चिकित्साधिकारी/बोर्ड द्वारा उसे सफल घोषित किया जाना आवश्यक होगा।

4-भर्ती की प्रक्रिया-

उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाड़ी के कोटे में चयन 'उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 2011' में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन पत्रों की संवीक्षा, खेल कुशलता और शारीरिक मानक परीक्षण, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के चरण होंगे।

4.1- आवेदन पत्रों की संवीक्षा

अभ्यर्थियों/आवेदकों से सत्यापन के लिए अपनी आयु, शिक्षा और खेल उपलब्धियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों का मिलान उसके आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने अथवा किसी दस्तावेज के अशुद्ध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र सांशतः अस्वीकृत किया जा सकेगा और अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

4.2- खेल कुशलता और शारीरिक मानक परीक्षण

अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अपनी खेल कुशलता और शारीरिक मानक का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जायेगी। अभ्यर्थी की खेल सम्बन्धी कुशलता तथा शारीरिक मानक का गहनता से परीक्षण किया जायेगा।

4.3- प्रमाण पत्रों का सत्यापन

नियुक्ति के लिए औपचारिक संस्तुति से पूर्व बोर्ड द्वारा आवेदक के खेल प्रमाण पत्रों/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उन्हें निर्गत करने वाले निकायों अर्थात् खेल संघ/शिक्षा परिषदों से सत्यापित कराया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र अशुद्ध पाया जाता है तब आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4.4- चरित्र सत्यापन और नियुक्ति

बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति से पूर्व करायी जाने वाली अभ्यर्थी की शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी, जो अपने स्पष्ट अनुमोदन के साथ इसे खेल कोटे के अधीन नियुक्ति के लिए नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

5- अधिकतम आयु सीमा में छूट

5.1- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) श्रेणी के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र० सं०	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाणपत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी-
1	अनुसूचित जाति	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/सिटी /अतिरिक्त जिलाधिकारी/ परगना /मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेटअन्य /तहसीलदार/ वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई होजिला / समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारीअतिरिक्त / /परगना मजिस्ट्रेट/सिटीमजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी तहसीलदारअन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट /, यदि कोई होजिला समाज कल्याण अधिकारी/
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/सिटी /अतिरिक्त जिलाधिकारी/ तहसीलदार /परगना मजिस्ट्रेट /मजिस्ट्रेट

टिप्पणी:-

- (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2016 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि 21-10-2016 तक का निर्गत होना चाहिए।**
- (2) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-1**, उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-2** पर है।
- (3) आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।
- (4) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (5) आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (6) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

6- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है:-

क- आयु एवं शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

ख- खेल अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

ग- अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख(यदि लागू हो)-

(1)- मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारूप-1** पर (01 अप्रैल, 2016 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि 21-10-2016 तक) निर्गत होना चाहिए।

- (3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप-2 पर।
घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

7-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

7.1- आवेदन करने हेतु 'ऑनलाइन आवेदन पद्धति' लागू है।

7.2- 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- (1) बोर्ड की वेबसाइट <http://prpb.gov.in> पर जायें ।
- (2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें ।
- (3) बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन विज्ञापन के सम्मुख 'Candidate's Registration' को 'क्लिक' करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनायें भरेंगे ।
- (4) ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगा:-

(i) प्रथम चरण-पंजीकरण

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित 'Candidate's Registration' को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म में सूचनायें भरकर पंजीकरण करें तथा Registration Slip प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें कि अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नम्बर अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही-सही प्रविष्ट करना होगा।

(ii) द्वितीय चरण-शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थी ई-चालान, इण्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल कर सकता है। यदि ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना हो तो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक का ई-चालान प्रिन्ट कर लें। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी को एक ट्रान्जेक्शन आईडी प्राप्त होगी जिसका उपयोग कर अभ्यर्थी फार्म का तीसरा भाग तत्काल भर सकता है। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि में उसका भुगतान कर सकता है।

(iii) तृतीय चरण-आवेदन पत्र जमा किया जाना

(1) निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद 'सबमिट अप्लीकेशन फार्म लिंक' को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, ट्रान्जेक्शन आईडी आदि भरने के बाद प्रोसीड बटन को क्लिक करेगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को अपना फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा ।

(2) अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

- 1- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
- 2- नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
- 3- कंधें साफ दिखने चाहिए।
- 4- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- 5- ठुंडी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो।
- 6- तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, आँखें खुली)।
- 7- चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
- 8- कैमरे पर सीधी नजर हो।
- 9- चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
- 10- फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए ।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

(3) आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद 'View Application Form' को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं।

(4) पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र बोर्ड को जमा करने हेतु 'Submit' बटन को क्लिक करें। **यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन बोर्ड को प्राप्त नहीं होगा।**

(5) 'Submit' बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आउट बोर्ड में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.3- एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

7.4- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण-पत्र/अंकतालिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऑनलाइन आवेदन करते समय सही प्रमाण-पत्र संख्या, अनुक्रमांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा।

7.5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध रहेंगे।

7.6- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- (1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

8-अन्य

- 1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।
- 2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

- 3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी के होने/ऐसे पुरुष से विवाह करने जिसके पूर्व से ही एक जीवित पत्नी हो, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।
- 4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।
- 5- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।

9-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

अपर सचिव (भर्ती)
उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील.....
नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी
जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और
अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत
मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं
हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय **आठ लाख** रुपये या
इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक
सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम.....तहसील..... नगर..... जिला.....में
सामान्यतः रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

मुहर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप-2

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील.....
नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के
व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/
संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार
उत्तर प्रदेश
के.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....
जिला.....में सामान्यतया रहता है।
स्थान.....
दिनांक.....
मुहर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

पुरुष खिलाड़ियों की संख्या

खेल विधा का नाम	विशिष्टता	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या
1-हॉकी	1-गोलकीपर	01
	2-राईट फुल बैक	01
	3-राइट हाफ बैक	01
	4-लेफ्ट हाफ बैक	01
	5-सेण्टर हाफ बैक	01
	6-राईट आउट	01
	7-राईट इन	01
	8-लेफ्ट इन	01
	9-लेफ्ट आउट	01
	योग	09
	2-फुटबॉल	1-गोलकीपर
2-राईट साईड बैक		01
3-लेफ्ट साईड बैक		01
4-स्टापर		01
5-मिड हाफ		02
6-राईट आउट		01
7-लेफ्ट आउट		01
8-स्ट्राइकर		01
योग		09
3-वालीबाल		1-काउण्टर अटैकर
	2-यूनीवर्सल अटैकर	02
	3-सेन्टर (लिफ्टर)	02
	4-सेन्टर (ब्लॉकर)	02
	5-लिब्रो	01
	योग	09
4-बास्केटबाल	1-फीडर	01
	2-पीवट	03
	3-शूटर	05
	योग	09
5-कबड्डी	1-रेडर	02
	2-कार्नर	02
	3-कवर	01

	4-आल राउण्डर	01
	योग	06
6-तैराकी	1-फ्रीस्टाइल (50, 100, 200 मी0)	02
	2- फ्रीस्टाइल (400,800,1500 मी0)	02
	3-बैक स्ट्रोक (50, 100, 200 मी0)	02
	4- बेस्ट स्ट्रोक (50, 100, 200 मी0)	02
	5-बटर फ्लाइ (50, 100, 200 मी0)	02
	6-व्यक्तिगत मिडले (200, 400 मी0)	02
	7-01 मी0 स्प्रिंग बोर्ड (डाइविंग)	02
	8-03 मी0 स्प्रिंग बोर्ड (डाइविंग)	02
	9-10 मी0 स्प्रिंग बोर्ड (डाइविंग)	02
	योग	18
	7-बाक्सिंग	1-49 कि0ग्रा0 भारवर्ग
2-52 कि0ग्रा0 भारवर्ग		01
3-55 कि0ग्रा0 भारवर्ग		01
4-60 कि0ग्रा0 भारवर्ग		01
5-64 कि0ग्रा0 भारवर्ग		01
6-69 कि0ग्रा0 भारवर्ग		01
7-75 कि0ग्रा0 भारवर्ग		01
योग		07
8-भारोत्तोलन	1-56 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	2-62 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	3-69 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	4-77 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	5-85 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	6-94 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	7-105 कि0ग्रा0 भारवर्ग	01
	योग	07

9-कुश्ती	फ्रीस्टाइल	
	1-55 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	2-60 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	3-66 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	4-74 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	5-84 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	6-96 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	7-120 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	योग	07
	ग्रीकोरोमन	
	1-55 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	2-60 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	3-66 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	4-74 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	5-84 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	6-96 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	7-120 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	योग	07
10-जिम्नास्टिक	1-होरीजेन्टलवार	01
	2-रोमन रिक	01
	3-पैरललवार	01
	4-पामेलहोर्स	01
	5-वाल्डिंग टेबुल	01
	6-फ्लोर (ग्राउण्ड वर्क)	02
	योग	07
11-एथलेटिक्स	1- 100 मी० दौड़	02
	2- 200 मी० दौड़	02
	3- 400 मी० दौड़	02
	4- 800 मी० दौड़	02
	5- 1500 मी० दौड़	02
	6- 5000 मी० दौड़	02
	7-10000 मी० दौड़	02
	8- मैराथन दौड़	02
	9- 400 मी० बाधा दौड़	01
	10- 3000 मी० स्टीपल चेस	02

	11- ऊँची कूद	02
	12- पोलवाल्ड	02
	13- लम्बी कूद	02
	14- त्रिकूद	02
	15- गोला थ्रो	02
	16- डिसकस थ्रो	02
	17- जैवलिन थ्रो	02
	18- हैमर थ्रो	02
	19- 20 कि०मी० वाक	01
	योग	36
12-शूटिंग	1- .22 रायफल (थ्री पोजीशन)	02
	2- फ्री पिस्टल	01
	3- .177 एयर रायफल	02
	4- .177 एयर पिस्टल	02
	5- .22 स्टैण्डर्ड पिस्टल	02
	6- .22 रैपिड फायर पिस्टल (25 मी)	02
	योग	11
13-वाटर स्पोर्टस	1- कयाकिंग (200/500 मी०)	04
	2- कयाकिंग (1000 मी०)	02
	3- कैनोइंग (200/500 मी०)	02 (01लेफ्ट, 01 राइट)
	4- कैनोइंग (1000 मी०)	02 (01लेफ्ट, 01 राइट)
	5- स्कलिंग (500/2000 मी०)	04
	6- कॉक्सलेस (500/2000 मी०)	04
	योग	18
	सम्पूर्ण योग	160

महिला खिलाड़ियों की संख्या

खेल विधा का नाम	विशिष्टता	महिला खिलाड़ियों की संख्या
1-बाक्सिंग	1-48 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	2-51 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	3-54 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	4-57 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	5-60 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	6-64 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	7-69 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	योग	07
2-भारोत्तोलन	1-48 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	2-53 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	3-58 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	4-63 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	5-69 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	6-75 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	7-75+ कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	योग	07
3-कुश्ती	फ्रीस्टाइल	
	1-48 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	2-51 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	3-55 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	4-59 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	5-63 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	6-67 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	7-72 कि०ग्रा० भारवर्ग	01
	योग	07
4-एथलेटिक्स	1- 100 मी० दौड़	02
	2- 400 मी० दौड़	02
	3- 1500 मी० दौड़	02
	4- 5000 मी० दौड़	01
	5- 10000 मी० दौड़	01
	6- 400 मी० बाधा दौड़	01

	7- 3000 मी0 स्टीपल चेस	01
	8- ऊँची कूद	01
	9- लम्बी कूद	01
	10- गोला श्रो	01
	11- डिसकस श्रो	01
	12- जैवलिंग श्रो	01
	13- हैमर श्रो	01
	योग	16
5-शूटिंग	1- एयर पिस्टल (10 मी0)	01
	2- एयर रायफल (10 मी0)	01
	3- .22 रायफल (श्री पोजीशन)	01
	योग	03
	सम्पूर्ण योग	40